न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश चौधरी (R.A.S)
प्रार्थना - पत्र सं० 149/2012

1. सुगनसिंह पुत्र सूरजनसिंह जाति राजपूत नि० ग्राम पँचपहाड़ी ढाणी गूदड़िया जाट तहसील-कोटपूतली

(प्रार्थी)

बनाम

1. सूण्डा पुत्र मूला
2. मालाराम
3. जयराम
4. फूलचन्द पुत्रान सोणा
5. सोणीदेवी पत्नि सोणा
6. नेतराम
7. चोथूराम
8. गोविन्दा
9. बनवारी पुत्रान नोन्दा उर्फ बोदू
10. रामौतार
11. अशोक पुत्रान काल्या
12. धूजीदेवी बेवा काल्या
13. चूणी
14. तीजा पुत्री काल्या
15. लाली बेवा जगदीश पुत्र बद्यु काल्या
16. भामन पुत्र जगदीश पोता काल्या
17. रोशन पुत्र जगदीश पोता काल्या
18. माहिपाल पुत्र जगदीश पोता काल्या
19. पाँची बेवा ताराचन्द पुत्र बद्यु काल्या
20 जोगेन्द्र
21. कुलदीप पुत्रान ताराचन्द पोता काल्या

लगातार पृष्ठ-2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

22. नीलम पुत्री ताराचन्द ना बालिग जरिये वली माता पाँचीदेवी
23. राज० सरकार जरिये तहसीलदार-कोटपूतली
24. भगली
25. भेश्वरी
26. नन्ची
27. रमा पुत्रीयान नोंदा उर्फ बोदू समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम पंचपहाड़ी ढाणी गूदड़िया जाट तहसील- कोटपूतली

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) R.T. Act.

निर्णय दिनांक:- 16.3.2018

पत्रावली आज पेश हुई। उपर्युक्त अनवानी से स्थित प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य यह है, कि हाल आराजी ख०नं० 244/0.82 हे० वाके मौजा पंचपहाड़ी तहसील- कोटपूतली के हिस्सा 6697/8200 भाग का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, तथा मकान बनाकर मय परिवार निवास करता है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात में आने-जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त आराजीयात में आने-जाने का एक मात्र रास्ता हाल आ० ख० नं० 257/0.09 हे० वाके मौजा पंचपहाड़ी गै० मु० रास्ते से होता हुआ आता है जो अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 23 व उनके बुर्जुगो के नाम दर्ज रिकोर्ड है। उक्त आराजी में से रास्ते दिये जाने की एवज में प्रार्थी उचित राशी अप्रार्थीगण को अदा करने के तैयार है। परन्तु प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से साफ इन्कार

उपखण्ड अधिकारी

लगातार पृष्ठ-3

कर दिया। अतः प्रार्थी को उक्त आराजीयात मे से 10 फुट चौड़ाई का रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रकरण प्रस्तुत करने पर रिपोर्ट सारिस्ता ली गई। तथा प्रार्थना-पत्र काबिले समात होने पाये जाने पर अप्रार्थीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गई। अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 7 एवं 10 लगायत 27 बावजूद सूचना सम्मन तामील के उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्य-वाही अमल में लायी गई तथा अप्रार्थी सं०-8 व 9 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी ने वास्त-विक तथ्य छुपाकर प्रा० पत्र पेश किया है। प्रा-र्थी की आराजी में आने-जाने के लिए वैकल्पि-क रास्ता उपलब्ध होते हुए अन्य खातेदारो की खातेदारी भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खा-रिज किया जावे।

प्रकरण में लैण्ड होल्डर तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 8 व 9 ने अ-पनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
(...)

लगातार पृष्ठ-4

Scanned by CamScanner

कर बताया, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख० नं० 244/0.82 हे० संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। उक्त आराजी में अन्य सहखातेदार अपने वैकल्पिक रास्ते से आ-जा रहे हैं। तथा प्रार्थी भी वैकल्पिक रास्ते से आ-जा रहा है। प्रार्थी मनमाने तरीके से दूसरे खातेदार की जोत को नष्ट करने की नियत से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए प्रार्थी को नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस पर गौर किया, तथा प्रकरण के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शहादत का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 की प्रतिलिपियों से प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख० नं० 244/0.82 हे० संयुक्त सहखातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। प्रार्थी के अलावा अन्य सहखातेदारों द्वारा उक्त आराजीयात में आने-जाने के लिए नये रास्ते की कोई मांग नहीं की है। जबकि उक्त आराजीयात में सभी सहखातेदारों का आना-जाना रहता है। उक्त आराजीयात का विधिक बंटवारा होने पर किस सहखातेदार के हिस्से में उक्त सहखातेदारी भूमि की भूमि का कौनसा विशेष-भूभाग आवेगा, यह भी निश्चित नहीं है। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में प्रार्थी के एकल प्रार्थना-पत्र रास्ता दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद होने की संभावना बनती है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को अस्वीकार

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-5

करते हुए उक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता स्थित होना बता या है। प्रार्थी व उसके योग्य अधिवक्ता ने उनके कोई खण्डन नहीं किया है। तहसीलदार कोट-पूतली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी नया रास्ता प्रस्तावित किये जाने सुस्पष्ट अनुशंषा नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर नया रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) R.T. Act. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner